

10/04/23 पत्रावली पेश हुई। कतील पार्टी उपर।

विपक्षीयता को जवाब के अंग्रेज अपनाने
देने के बावजूद भी जवान पेश नहीं किया
अलः कुता जवान बंद किया जाता है।

पत्रावली कतील पार्टी ने बहुत सुनने का
निवेदन किया। कतील पार्टी की बहुत सुनी

गई। बहुत पर मनन किया गया। पत्रावली एवं
लिखित दस्तावेजों का अकलौतन करने से प्रतीत

होगा है कि पार्टी का ध्येय पत्र स्वीकार करने
योग्य है। नेशनल पार्टी अलग से लिखा जावत

शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फ्रेंचल सुभा
दोहा अतिवृत्त पत्र हो। संख्या से उस हो।

Shah

अधिकांश पत्रावली पेश की गई। किंतु पत्र लिखने के लिए
लिखित दस्तावेजों की आवश्यकता है। किंतु पत्र लिखने के लिए
अधिकांश पत्रावली पेश की गई। किंतु पत्र लिखने के लिए
अधिकांश पत्रावली पेश की गई। किंतु पत्र लिखने के लिए

अधिकांश पत्रावली पेश की गई। किंतु पत्र लिखने के लिए
अधिकांश पत्रावली पेश की गई। किंतु पत्र लिखने के लिए

अधिकांश पत्रावली पेश की गई। किंतु पत्र लिखने के लिए
अधिकांश पत्रावली पेश की गई। किंतु पत्र लिखने के लिए

अधिकांश पत्रावली पेश की गई। किंतु पत्र लिखने के लिए
अधिकांश पत्रावली पेश की गई। किंतु पत्र लिखने के लिए

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा जिला बाड़मेर

<p>प्रार्थी 1. लक्ष्मी पत्नी अचलाराम जाति जाट निवासी सराइयो का तला हाल दुधु तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर</p>	<p>बनाम</p>	<p>विप्रार्थीगण 1. शकुर पुत्र माहम्मद ईशाक 2. हनीफा पत्नी माहमद ईशाक 3. अब्दुल वायद पुत्र माहमद ईशाक 4. मुसा पुत्र माहमद सीलम 5. मारीयत पत्नी माहमद 6. सलीमत पत्नी अलाबक्स, जातियान मुसलमान निवासी सराइयो का तला 7. मामहद पुत्र साहु 8. सुमरी पत्नी संगार 9. इरफान पुत्र जुसब 10. सताब पुत्र हमाद 11. इमरान पुत्र जुसब जातियान मुसलमान निवासी जानपालिया 12. कलीउल्ला पुत्र सुलेमान 13. हारुण पुत्र सुलेमान 14. वसद पुत्र सुलेमान 15. वरीयम पुत्र सुलेमान जातियान मुसलमान निवासी बिसासर तहसील सेड़वा 16. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सेड़वा</p>
--	-------------	---


प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज.भू. राजस्व अधिनियम वास्ते नेखमबंदी बाबत।
राजस्व आवेदन संख्या 446/2022

दिनांक : 16/04/23

आदेश

तहसीलदार सेड़वा को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र जानपालिया भू.अ.नि. क्षेत्र बुरहान का तला के मौजा सराइयो का तला के खेत खसरा संख्या 527 रकबा 7.4057 हैक्ट. किस्म बा.दो के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की पेमाईश आप अपने स्तर पर टीम गठित कर दोनों पक्षों को विधि को विधि सम्मत नोटिस के जरिये सूचित कर यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तथा नेखमबंदी की पालना 15 दिवस में अवश्य पेश करें। नेखमबंदी के दौरान किसी बिन्दु पर किसी प्रकार निर्माण होने की स्थिति में उस बिन्दु पर नेखम स्थापित नहीं किया जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहसीलदार दोनों पक्षों को नोटिस जारी करने के उपरान्त ही नेखमबंदी की कार्यवाही करेंगे।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर संबंधित पुलिस थाना से इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है।



क्रमांक/भू.अ./2023/ 736-43

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ-

1. तहसीलदार सेड़वा।
2. प्रार्थी लक्ष्मी पत्नी अचलाराम
3. विप्रार्थीगण. शकुर पुत्र माहम्मद ईशाक वगैरा।
4. थानाधिकारी पुलिस थाना सेड़वा/चौहटन/बाखासर/बीजराड़/धोरीमन्ना/धनाउ।

(रामजी भाई कलबी)
उपखण्ड अधिकारी
सेड़वा
दिनांक 24/04/23

(रामजी भाई कलबी)
उपखण्ड अधिकारी
सेड़वा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर
राजस्व आवेदन सं 446/2022 अन्तर्गत धारा 111,128 एल.आर.एक्ट
लक्ष्मी वगैरा बनाम शकुर वगैरा

पीठासीन अधिकारी - श्री रामजी भाई कलबी आर.ए.एस
प्रार्थी वकील - श्री हासम खान

निर्णय

दिनांक - 16/04/23

प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र जानपालिया भू.अ.नि. क्षेत्र बुरहान का तला के मौजा सराइयो का तला के खेत खसरा संख्या 527 रकबा 7.4057 हैक्ट. किस्म बा.दो स्थित है। प्रार्थी के खेत के पास विप्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि के पडोसी है। जिनके खेत प्रार्थी के खेत के पडोस में स्थित होने के कारण बरसात के समय वक्त काश्त अक्सर विप्रार्थीगण सेढो को लेकर विवाद करते रहते हैं। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड्डी पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। प्रार्थी ने पेमाईश एवं नेखमबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ, अतः उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थी के वक्त काश्त प्रार्थी व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओ को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। प्रार्थी विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार राजस्व रेकर्ड में दर्ज होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया की जाकर वादग्रस्त भूमि तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र जानपालिया भू.अ.नि. क्षेत्र बुरहान का तला के मौजा सराइयो का तला के खेत खसरा संख्या 527 रकबा 7.4057 हैक्ट. किस्म बा.दो स्थित है। स्थित की नेखमबन्दी करने का आदेश दिया जाता है। नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर को निर्देश दिये जाते हैं कि वो दोनों पक्षों के रूबरू किसी मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पैमाईश करे व भूमापक कर्ता को यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि किसी सक्षम न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो वो दोनों पक्षों के रूबरू विवादित भूमि की मौके की स्थिति व कब्जे काश्त में परिवर्तन किये बिना मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे। नेखमबन्दी के दौरान किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति हो तो नेखम स्थापित नहीं किये जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहरीर जारी हो।

तहसीलदार सेड़वा को आदेश दिया जाता है कि वे प्रार्थी के खसरें की नेखमबन्दी विप्रार्थीगण की उपस्थिति में करावें एवं नेखमबन्दी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हो।

पत्रावली पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर पेश हो पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 16/04/23 को न्यायालय के खुले परिसर में सुनाया गया।

(रामजी भाई कलबी)

उपखण्ड अधिकारी, सेड़वा